

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. संदीप पुत्र झाबरमल जाति मीणा निवासी मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 755/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1488


आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोकलवास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 187 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "झाबरमल पुत्र सुन्दरा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "झाबरमल पुत्र सुन्दरलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
राजवीर सिंह यादव  
नीमकाथाना  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. संदीप पुत्र झाबरमल जाति मीणा निवासी मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 755 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्दई रुबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम मोकलवास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 187 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "झाबरमल पुत्र सुन्दरा" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "झाबरमल पुत्र सुन्दरलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तरखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तरखत.....

ओहदा.....

राजवीर सिंह यादव

उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

| मुद्दई   | रूपये | पैसे | मुद्दायलह  | रूपये | पैसे |
|--|-------|------|--|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान |       |      | स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br>मीजान |       |      |

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।